

20-05-25

फ्रावली पेश हुई। वकील उमरपक्ष उपस्थित।
वकील उमरपक्ष की बहस पर मनन करने एवं फ्रावली
का अलोकन करने पर अर्धी/अतिवसी का बापत्र 0-7
R-11 स्पष्ट है। CPL स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार
किया जाकर वादीगण का बापत्र इमी स्तर पर खारिज
किया जाता है। फ्रावली बाद तुरन्त तकमील होकर
दाखिल दफतर है।

निर्णय लिखा जाकर तुले न्यायालय में सुनाया

गया।

RWS
20-05-25
(किरण पाल)
RAS